

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— पीयूष समारिया
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 53/2021

मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री दीन मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी घाघोट तहसील पलवल जिला
पलवल हरियाणा

...प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिए सहायक लोक अभियोजक, दौसा

...अप्रार्थी



प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा एफआईआर नं0 234/2021 पुलिस थाना बसवा जिला दौसा
जुर्म दफा 5, 8 गोवंश अधिनियम, 1995

- उपस्थित: 1. श्री अब्दुल मजीद खान, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष
2. श्री राम गिलास मीना, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 04.10.2021

संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र सुपुर्दगीनामा इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना बसवा जिला दौसा द्वारा दिनांक 05.09.2021 को 07 गायें भरकर ले जा रहे पिक अप वाहन संख्या एचआर 73-9190 को गोवंश अधिनियम के तहत जुर्म में जब्त कर लिया गया। उक्त जब्तशुदा वाहन को सुपुर्द किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पुलिस केस डायरी तलब की गई। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा की एक प्रति पैरोकार सरकार को दी गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि थानाधिकारी पुलिस थाना बसवा जिला दौसा द्वारा दिनांक 05.09.2021 को 07 गायें भरकर ले जा रहे वाहन संख्या एचआर 73 - 9190 पिक अप को गोवंश अधिनियम 1995 की धारा 5, 8 के अंतर्गत जब्त कर लिया गया। उक्त जब्तशुदा वाहन थाने में खड़ा-खड़ा खराब हो रहा है। वाहन के खड़ा रहने से प्रार्थी को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। उक्त वाहन की अब पुलिस को अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थी को वाहन संख्या एचआर 73-9190 पिक अप को सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश प्रदान करावें।

पैरोकार सरकार की बहस में दलील है कि राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम-1995 की धारा 6 ए के अंतर्गत वाहन सुपुर्दगी की शक्तियाँ माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय को प्राप्त है।

h

पैरोकार सरकार द्वारा यह भी दलील दी कि प्रकरण में अभी तक अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है। साथ ही न्यायालय में चालान भी पेश नहीं हुआ है। अभी पुलिस अनुसंधान में वक्त लगने की संभावना के चलते वाहन को सुपुर्दगी में दिया जाना उचित नहीं होगा। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत केस डायरी का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पुलिस थाना बसवा जिला दौसा द्वारा दिनांक 05.09.2021 को जुर्म धारा 5, 8 गोवंश अधिनियम के अंतर्गत गौवंश मय पिक अप वाहन संख्या एचआर 73-9190 जब्त किया जाकर एफआईआर संख्या 234/2021 दर्ज की गई। पुलिस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में पुलिस अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है। हम पैरोकार सरकार की दलील से सहमत हैं कि प्रकरण में अभी तक पूर्ण अनुसंधान नहीं हुआ है एवं प्रकरण में चालान भी पेश नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में हम जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी में छोड़ा जाना उचित नहीं समझते हैं। प्रा० पत्र सुपुर्दगीनामा खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा खारिज किया जाता है। पुलिस केस डायरी पुलिस थाना बसवा को लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।

(पीयूष समारिया)

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)

जिला कलेक्टर, दौसा

